प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 09.10.2025

- ❖ **अपराध नियंत्रण की दिशा में कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही।**
- ❖ **थाना राजपुर पुलिस द्वारा ₹ 25,000 के पुरस्कार घोषित अपराधी को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ किया गया गिरफ्तार।**
- ❖ **थाना राजपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-64/2025 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त पर पुरस्कार घोषित किया गया था।**

जनपद कानपुर देहात में अपराधों की रोकथाम, खुलासे, वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना राजपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 64/2025 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त राशिद पुत्र शहजाद निवासी तिलकनगर जमालशाह थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया की गिरफ्तारी न हो पाने के कारण पुलिस अधीक्षक, जनपद कानपुर देहात द्वारा अपराधी पर पुरस्कार की धनराशि ₹ 25,000 घोषित की गयी थी। जिसमें थाना राजपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर ₹ 25,000 के पुरस्कार घोषित अपराधी राशिद पुत्र शहजाद निवासी तिलकनगर जमालशाह थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया को दिनांक 08.10.2025 को पीताम्बरपुर मोड के पास से मय 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना राजपुर पर मु0अ0सं0-83/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता-

1. राशिद पुत्र शहजाद निवासी तिलकनगर जमालशाह थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 29/2024 धारा 3/5A/8 गौ हत्या निवारण अधि0 थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 64/2025 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।
3. मु0अ0सं0 83/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना राजपुर पुलिस